



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट थाना - नवाबगंज

दिनांक - 19.11.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 01 देशी अधिया 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 01 देशी अधिया 315 बोर एवं 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 294/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. नितिन कुमार पुत्र वेदराम निवासी ग्राम वीरपुर थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गश्त, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग के दौरान अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से अवैध 01 देशी अधिया 315 बोर एवं 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 294/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त नितिन कुमार उपरोक्त ने पूछताछ करने पर अवैध देशी अधिया अपने पास रखने पर अपने जुर्म की माफी माँगते हुए अपने बयान वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया ।

बरामदगी का विवरण-

01. अवैध एक देशी अधिया 315 बोरा ।
02. दो जिन्दा कारतूस 315 बोरा।

अभियुक्त नितिन कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 294/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ ।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली थाना नवाबगंज पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री हेमन्त कुमार
2. का0 अनिल कुमार
3. का0 जयकिशोर
4. का0 किरण कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

प्रेस नोट -थाना कमालगंज
दिनांक :- 19.11.2025

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 385/2025 धारा 64 B.N.S व 5M/6
पाक्सो एक्ट के नामजद वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरिश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 385/2025 धारा 64 B.N.S व 5M/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अमित जौन पुत्र राजन उर्फ एलवट जौन निवासी मो0 किदवई नगर कस्बा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01.अमित जौन पुत्र राजन उर्फ एलवट जौन निवासी मो0 किदवई नगर कस्बा व थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ हाल निवासी मो0 अम्बेडकर नगर कस्बा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 18.11.2025 को वादिया द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्त अमित उपरोक्त द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत की गई है। सूचना के आधार पर थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0 385/2025 धारा 64 B.N.S व 5M/6 पाक्सो एक्ट बनाम अमित जौन उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 19.11.2025 को अभियुक्त अमित उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त अमित जौन ने पूछने पर गलती की माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी है, माफ कर दीजिए।

अभियुक्त अमित जौन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 385/2025 धारा 64 B.N.S व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार
2. व0उ0नि0 सन्दीप कुमार
3. का0 शेखर कटारिया
4. का0 मोहन लाल

मीडिया सेल फतेहगढ़।

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कमालगंज

दि०-19.11.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सचिन पुत्र खुशीराम निवासी भिम्मी नगला थाना कमालगंज जिला फर्रुखाबाद मु०अ०स०- 359/2021 वाद संख्या 65/2022 धारा 363,366,376,302,201 भा०द०वि० व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा० न्यायालय पाक्सो प्रथम कोर्ट द्वारा दिनांक 19.11.2025 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा व 13,500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



एडीजीसी- श्री प्रदीप कुमार सिंह



को० मो० म०का० चांदनी



पैरोकार का० विनीत कुमार